छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक

(भारत सरकार, राज्य शासन और भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उपक्रम)
प्रधान कार्यालयः महादेवघाट रोड,सुन्दरनगर,रायपुर (छ.ग.),पिन-492013
दूरभाष नं.0771-4388805,ई-मेल cgb.personnel@gmail.com

<u>बैंक के इच्छुक सेवानिवृत अधिकारियों को समवर्ती लेखा परिक्षण कार्य हेतु सूचीबद्व करने संबंधी विषयक</u>

हमारे बैंक में समवर्ती लेखा परीक्षण हेतु छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक से सेवानिवृत्त अथवा दिनांक 31/07/2018 तक सेवानिवृत्त होने वाले इच्छुक अधिकारियों को अस्थायी रूप से सूचीबद्ध करने हेतु आवेदन आंमत्रित किये जाते हैं। आवेदन के लिये पात्रता मापदंड एवं अन्य जानकारी बैंक की वेबसाईट www.cgbank.in से प्राप्त कर सकते हैं । इच्छुक उम्मीदवार e-mail अथवा अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 13/08/2018 को सांय 05:30 PM होगी।

कृपया क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर, बैकुण्ठपुर, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, दुर्ग, जगदलपुर एवं राजनांदगांव में सूचीबद्व होने हेतु इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी ही समवर्ती लेखा परीक्षक हेतु आवेदन करें।

महाप्रबंधक(प्रशासन)

Rajesh

प्रति,

महाप्रबंधक (प्रशासन)
छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक,
प्रधान कार्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

फोटो

महोदय,

समवर्ती लेखा परीक्षण कार्य हेतु सूचीबद्ध करने हेतु आवेदन

क्र	विवरण	आवेदक द्वारा भरा जावेगा
1	नाम / पिता का नाम	
2	जन्म तिथि	उम्र
3	पी.एफ. क्रमांक	
4	वर्तमान निवास स्थान एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता	
5	मोबाईल नं लेंड लाइन नं	
6	ई-मेल आई डी	
7	अ) शैक्षणिक योग्यता ब) JAIIB/CAIIB position	
8	बैंक से सेवानिवृति तिथि/स्थान कौन सी शाखा से	
9	सेवानिवृति के समय का पद/स्केल	
10	सेवानिवृति के पूर्व की तीन पदस्थी का विवरण तिथि सहित	1) 2) 3)
11	ऋण/आडिट/एन.पी.ए अनुवर्तन का अनुभव (जगह कम होने पर आवेदक चाहे तो अलग से कागज में पूर्ण विवरण के साथ संलग्न कर सकते है)	
12	सूचीबद्ध होने के लिये इच्छुक क्षेत्रीय कार्यालय	
13	वर्तमान में यदि कहीं कार्य कर रहे है तो उसका विवरण	
14	सेवाकाल के दौरान अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई है तो उसका पूर्ण विवरण देवें	
15	संलग्न किये गये KYC का विवरण	
16	अन्य विवरण	

मै घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारी सत्य है, यदि असत्य पाये जाने पर मेरी पात्रता निरस्त मानी जावे ।

स्थान -

दिनांक -

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक 31/07/2018 तक बैंक के इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारियों को समवर्ती लेखा परीक्षण कार्य हेतु सूचीबद्ध करने संबंधी विषयक

समवर्ती लेखा परीक्षण कार्य के लिये छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक से सेवानिवृत हुये अधिकारियों सें आवेदन आंमत्रित है। आवेदन के लिये पात्रता मापदंड निम्नानुसार है-

1) बैंक से सेवानिवृत्त ऐसे अधिकारी जो कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की सेवा से दिनांक 31-07-2018 की स्थिति पर अधिकारी वर्ग-2, अधिकारी वर्ग-3 अथवा अधिकारी वर्ग-4 पद से अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए हों एवं दिनांक 31-07-2018 को उनकी आयु 62 वर्ष से अधिक न हो।

अधिकारी जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र जैसे कारणों से अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने से पूर्व ही सेवा त्याग किया है, वे अधिकारी इस योजना हेतु पात्र नही होंगे ।

2) अधिकारी के सेवानिवृति से ठीक पूर्व के 5 वर्षो में उनके विरूद्व दण्ड जारी न किये गए हों, अधिकारी की सत्येनिष्ठा संदिग्ध न हो एवं अधिकारी के विरूद्व सीबीआई अथवा अन्य संस्था में जांच लंबित न हो।

3) सामान्यतः स्वस्थ एवं यात्रा आदि में सहज समर्थ हो ।

4) अधिकारी को कम से कम 5 वर्षो का ऋण से संबंधित कार्यो का अनुभव होना चाहिये । बैंक से क्षेत्रीय प्रबंधक, सतर्कता, विभागीय कार्यवाही विभाग अथवा/एवं/या ऑडिट-निरीक्षण आंतरिक अंकेक्षक पद से सेवानिवृत अधिकारी भी इस योजना में पात्र होंगे भले ही उनकी सेवा अनुभव की यह पात्रता अवधि 2 वर्ष ही हो ।

5) भूतपूर्व अधिकारी जो सेवानिवृति के पश्चात अन्य अंशकालिक कार्य में संलग्न है वे भी इस योजना के तहत पात्र होंगे। किन्तु उन्हें बैंक द्वारा सौपे गए कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय में पूर्ण करना होगा ।

6) गोपनीयता संबंधी शपथ पत्र एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पडे ।

अन्य नियम एवं शर्तें

1) भूतपूर्व अधिकारियों को प्रारंभिक तौर पर 1 वर्ष की अवधि हेतु सूचीबद्ध किया जावेगा । संतोषप्रद कार्यनिष्पादन एवं बैंक की आवश्यकता के आधार पर सूचीबद्ध करने की अवधि, अधिकारी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके अधिकतम 63 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (एक बार में आगामी एक वर्ष के लिए ही) बढाई जावेगी ।

2) सूचीबद्ध होने को किसी भी उद्देश्य के लिये पुनः नियोजन नही माना जावेगा । बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाए निम्नलिखित कारणों से सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है -

अ) यदि वे सौंपे गए कार्य को सम्पादित करने में असफल होते है या सौपे गए कार्य के निष्पादन का स्तर संतोषजनक नही हो या प्रायः विलंब होता हो ।

ब) ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के विषय पर कुछ संदेह उत्पन्न होता है ।

3) सेवानिवृत्त अधिकारी को नियोजन हेतु वचन पत्र/शपथ पत्र देना होगा । इसमे गोपनीयता एवं बैंक हित संरक्षण संबंधी, निकट संबंधियों की जानकारी आदि के प्रावधान भी होंगे ।

4) समवर्ती लेखा परीक्षण हेतु प्रति शाखा अनुमत अधिकतम 02 दिन निर्धारित है। मानदेय की दर निम्नानुसार है -

SL No	Location	Particulars	Honorarium
1	For Branches situated in the same city where official resides	Daily remuneration	Rs.500/- Perday
2	For Branches situated in the same city where official resides	Out of pocket expenses	Rs.250/- Perday
3	For Branches situated in other cities**	All Inclusive (Out of pocket exp, transportation, lodging and boarding etc.)	Rs.1000/- Perday
**Other cities mean cities situated beyond 50 km from the residence of the official.			

5) सूचीबद्ध अधिकारियों के कार्य निष्पादन की सतत अनुश्रवण/समीक्षा की जावेगी। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने/प्रस्तुत प्रतिवेदन वांछित गुणवत्ता युक्त न पाए जाने पर उन अधिकारियों को भविष्य में कार्य नही सौपे जावेंगे।

6) सूची में शामिल हो जाने मात्र से भूतपूर्व अधिकारी काम पाने का अधिकारी नही होगा। कार्य का आबंटन बैंक के विवेक पर निर्भर होगा ।

7) सेवानिवृत्त अधिकारी अपने देयक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे । क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा देयक की जांच कर पात्रतानुसार राशि व्यय खाते को नामें कर संबंधित अधिकारी के खाते में जमा की जावेगी। इसमें नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी । क्षेत्रीय कार्यालय नियंत्रण हेतु मासिक रिर्पोट प्रधान कार्यालय प्रेषित करेंगे।

8) अधिकारी को अन्य नियम एवं शर्ते के बिन्दु 4 में उल्लेखित दरों पर मानदेय के अलावा वेतन, भत्ते और अन्य मद में कोई भुगतान नही किया जावेगा ।

9) सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटो परिचय पत्र जारी किये जावेंगे जिसमे वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा ।

10) सूचीबद्ध अधिकारी बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नही कर सकेंगे ।

11) यद्यपि सूचीबद्ध अधिकारी की, बैंक के कंप्यूटर सिस्टम, कोर बैंकिंग प्लेटफार्म तक पहुँच नही होगी। तथापि वे शाखा प्रबंधक के सहयोग से अंकेक्षण हेतु आवश्यक विवरण प्राप्त कर सकेंगे ।

12) सेवानिवृत्त अधिकारियों को सूचीबद्ध होने पर सुरक्षा निधि के रूप में रू 50000/- (रू पचास हजार मात्र) एस.टी.डी.आर के रूप में जमा करना होगा ।

13) अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई कार्य है । इसे किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी । विवाद की स्थिति में बैंक के महाप्रबंधक (प्रशासन) का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

सेवानिवृत्त अधिकारियों को अपना आवेदन (संलग्न प्रारूप में) अपने फोटोग्राफ, डाक का पता, मोबाइल/लैंडलाइन नंबर और ई-मेल पता के साथ दिनांक 13-08-2018 तक जमा करना होगा। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन को स्वीकार नही किये जायेगें ।